न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 460–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–2011 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 62/अपील/2009–10.

भिखारीलाल आत्मज कुंजीलाल उदयपुरे
निवासी ग्राम टिकारी
तहसील व जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

गयाप्रसाद आत्मज भैयालाल उदयपुरे
निवासी ग्राम टिकारी
तहसील व जिला बैतूल .....अनावेदक

श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभय पक्ष के भूमिस्वामी स्वत्व की मौजा टिकारी तहसील व जिला बैतूल स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 6.363 हेक्टेयर भूमि के बटवारा हेतु आवेदक की ओर से तहसीलदार, बैतूल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कमांक 6/अ–27/97–98 प्रचलित हुआ । उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय तक प्रचलित होकर पुनः बटवारे हेतु तहसीलदार को प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–5–2009 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा

उभय पक्ष के मध्य किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–10–2009 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर बटवारे में से मूल खसरा कमांक 1211/2 रकबा 1.946 हेक्टेयर विलोपित की जाकर शेष बटवारा आदेश यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 22–7–2011 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30–4–2008 के पालन में बटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विधिवत फर्द बटान बुलाई जाकर उभय पक्ष के मध्य दिनांक 22–12–2007 को बटवारा आदेश पारित किया गया था, परन्तु आयुक्त द्वारा अभिलेख को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 26–12–97 के पूर्व की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वे कमांक 1211 के बटे नम्बर 1211/1, 1211/2 कुल रकबा 2 हेक्टेयर पर कृषि होती रही है । उपरोक्त स्थिति को अनदेखा कर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज़, खसरा पांचसाला एवं किस्तबन्दी का अवलोकन कर विधिवत बटवारा आदेश पारित किया गया है, परन्तु तहसीलदार से एकमात्र त्रुटि हुई थी, जिसका सूक्ष्मता से अवलोकन कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सर्वे कमांक 1211/2 से बटे नम्बर सर्वे कमांक 1211/2, 1211/4 को विलुप्त किया गया है, परन्तु आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) आयुक्त द्वारा यह नहीं देखने में भूल की गई है वर्तमान में सर्वे कमांक 1212/2, 1211/1 एवं 1211/2 पर गयाप्रसाद एवं सर्वे कमांक 1212/1, 1211/3 एवं 1211/4 पर आवेदक भिखारीलाल आपसी पारिवारिक बटवारा अनुसार काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है, और इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया था, जो कि विधिसंगत आदेश था, जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय में आवेदक की ओर से मौखिक बटवारे के आधार पर बटवारे की मांग की गई थी एवं अनावेदक द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया गया था कि व्यपवर्तित भूमि का बटवारा करने का क्षेत्राधिकार तहसील न्यायालय को प्राप्त नहीं है, और इस संबंध में अनावेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त होने पर उसके द्वारा अपील प्रकरण कमांक 1ए/2004 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दिनांक 14–7–2004 को अनावेदक के पक्ष में फैसला हुआ है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि उभय पक्ष के मध्य कोई मौखिक बटवारा नहीं हुआ है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 9380/06 में दिनांक 30–4–2008 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार को 6 माह के अन्दर बटवारे की कार्यवाही निष्पादित करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु आवेदक द्वारा प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय के निर्णय की पुनः विवेचना करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है ।

(3) आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह व्यक्त नहीं किया जा सका है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कौनसी त्रुटि हुई है ।

(4) निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 22–12–2007 में यह निर्णीत किया जा चुका है कि व्यपवर्तित भूमि का बटवारा पक्षकार व्यवहार न्यायालय से कराने हेतु स्वतंत्र हैं, और उक्त आदेश को चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं होने देने की मंशा से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में सर्वे कमांक 1211/1, 1212/1 एवं 1212/2 रकबा 2.651 हेक्टेयर भूमि को परिवर्तित भूमि होने का उल्लेख किया गया है तथा सर्वे कमांक 818/1, 818/30, 864/1, 864/2, 1211/2, 1211/3 एवं 1211/4 कुल रकबा 3.302 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्शाई गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में बिना किसी आधार के केवल सर्वे कमांक 1211/2 को परिवर्तित भूमि दर्शाने में गम्भीर भूल की गई है । अतः आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6 माह के अन्दर बटवारा आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये हैं, अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप आयुक्त द्वारा तहसीलदार को 6 माह में विधिवत प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर